Corpotation have advised Hindustan Petroleum Corporation Limited that they have decided to withdraw from the Punjab Refinery Project. However, no reasons for this withdrawal has been cited.

Survey on Yanam-Yedurilanka Bridge

2598. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether ONGC has completed the survey of the proposed Yanam- Yedurilanka bridge in Andhra Pradesh;

(b) if so, the cost estimates of this bridge;

(c) by when this work will commence; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI K. RAMAMURTHY): (a) to (d) No, Sir, ONGC Ltd. has no proposal to construct Yanam-Yedurilanka bridge in Andhra Pradesh.

Gifting of LPG Connection

2599. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether household LPG connection can be given to one's daughter or sister as a gift;

(b) if so, the conditions for transfer of gas connections; and

(c) if not, the reasons therefor and whether Government would permit to gift the LPG connection in genuine cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (c) As per the current policy, transfer of LPG connections from one person to another is authorised by Public Sector Oil Companies in following conditions:

(i) Death of a SV holder, in which case the connection is transferred to legal heir.

(ii) On account of old age and other exceptional circumstances and when the SV holder requests for transfer.

In case of customers who are having more than one connection from different oil companies or same oil company, the transfer of connection as a gift to another person is allowed under the safe custody voucher scheme.

सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा डीजल का आयात

2600. श्री कपिल सिब्बल:
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा देश में डीजल का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस आयात की जिम्मेदारी किन-किन संस्थानों को सौंपी गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संस्थान को डीजल के आयात के लिए विशाखापटनम, कांडला और चैन्नई बन्दरगाहों पर डेमरेज के रूप में प्रति दिन हजारों डालर का भुगतान करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए डीजल के आयात पर निर्धारित डेमरेज का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. डीजल आयात के लिए नियंत्रक एजेंसी है। तेल उद्योग को विलंब शुल्क आंशिक रूप से लंगर की अनुपलब्धता/कमी के कारण तथा आंशिक रूप से कुछ, सामान गहरे समुद्र में चलायमान रखने की जरूरत के कारण अदा करना पड़ता है। विलंब शुल्क में, प्रचलित बाजार दशाओं जिनमें विदेशी मुद्रा दर सम्मिलित है, के आधार पर पोत दर पोत भिन्नता होती है। वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर तेल उद्योग द्वारा अदा किए गए विलंब शुल्क निम्नवत थे:-

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

वर्ष	कांडला	चेन्नई	विजाग	सभी बन्दरगाह
95-96	145.3	76.4	19.9	369.3
96-97	256.1	129.4	35.2	565.7
97-98*	244.7	82.5	45.9	448.0

* अनंतिम

उपर्युक्त कुल पेट्रोलियम उत्पाद विलंब शुल्क का लगभग 65 प्रतिशत डीजल आयातों के कारण है।